

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 933/14

संस्थापन दिनांक:-03/12/14

फाईलिंग नं. 233504004292014

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

लोचू उर्फ लियाकत पिता शेरू अली  
 उम्र 25 वर्ष, निवासी बस स्टेंड आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 20.10.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 20.11.2014 को 10:50 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड आमला, पोस्ट ऑफिस के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 34 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.11.2014 को प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर को कस्बा भ्रमण के दौरान जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टेंड आमला में अभियुक्त अपने हाथ में तलवार लेकर आने जाने वाले लोगों को लहराते हुए डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा जिसकी तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से एक लोहे की पुरानी तलवार मिली जिसे रखने के संबंध में अभियुक्त द्वारा कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त के कब्जे से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त की तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 978/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर

विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.11.2014 को 10:50 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला, पोस्ट ऑफिस के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 34 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया?”

### **।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

5 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 20.11.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वह हमराह साक्षी एवं स्टाफ को लेकर बस स्टैंड आमला पहुंचा जहां उन्होंने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा जिसकी तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से एक पुरानी लोहे की धारदार तलवार मिली। तलवार रखने के संबंध में कागजात पूछने पर अभियुक्त ने कोई कागजात न होना बताये जाने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे की धारदार तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक बनाया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्रमांक 978/14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए की तलवार को वही तलवार होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त की थी।

6 शेख अलीम (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में घटना दिनांक को पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाने पकड़कर लाये जाने का कथन करते हुए अभियुक्त से एक छुरानुमा हथियार जप्त करना प्रकट किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा

जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रकट किया कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। एकमात्र पुलिस अधिकारी जिसके स्वयं के कथनों पर विरोधाभास है उसके एकमात्र कथन के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

8 बचाव पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह सही है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) एवं शेख अलीम (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर. 1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः तर्क के परिप्रेक्ष्य में विवेचक गोविंदराव कोलेकर की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ बस स्टैंड मौके पर जाना तथा अभियुक्त से धारदार तलवार जप्त कर उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना प्रकट किया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में रवानगी एवं वापसी का रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे हमराह साक्षी यादोराव (अ.सा.-1) एवं शेख अलीम (अ.सा.-2) उसे बस स्टैंड पर मिले थे।

10 अभियोजन कथा अनुसार सूचना प्राप्त होने पर साक्षी गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-3) हमराह स्टाफ तथा रहागीर साक्षी को साथ लेकर बस स्टैंड मौके पर पहुंचे। जबकि प्रतिपरीक्षण में साक्षी गोविंदराव कोलेकर ने बस स्टैंड पर रहागीर साक्षी यादोराव एवं शेख अलीम को मिलना बताया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में जप्तशुदा आयुध गवाहों के समक्ष जप्त किया जाना लेख है परंतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अपने समक्ष जप्ती का समर्थन नहीं किया है। साक्षी शेख अलीम (अ.सा.-2) ने यद्यपि अभियुक्त से छुरानुमा हथियार जप्त करना बताया है परंतु साक्षी ने उक्त आयुध अभियुक्त से थाने में जप्त करना बताया है। साथ ही अभियुक्त से कथित

आयुध जो जप्त किया गया है वह अभियोजन कथा अनुसार तलवार है। इसके अतिरिक्त जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में जप्तशुदा आयुध मौके पर सीलबंद किया गया हो, ऐसा लेख नहीं है जिससे युक्तियुक्त संदेह से परे यह नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा रवानगी एवं वापसी सान्हा भी संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 10:50 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी का समय 11:00 लेख है, मात्र 10 मिनट में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही मौके पर पूर्ण करना यद्यपि असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक जरूर है। उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एकमात्र विवेचक साक्षी गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-3) के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.11.2014 को 10:50 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला, पोस्ट ऑफिस के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 34 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त लोचू उर्फ लियाकत को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की तलवार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत तोड़कर नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

